नस्लीय समानता को बढ़ावा देने पर
मौजूदा और नियोजित उपाय

संचार प्राधिकरण कार्यालय (फिल्म, समाचारपत्र और लेख प्रशासन कार्यालय सहित)

संचार प्राधिकरण कार्यालय (ओएफ़सीए) की स्थापना 1 अप्रैल 2012 को दूरसंचार प्राधिकरण कार्यालय (ओएफ़टीए) और भूतपूर्व टेलीविज़न और मनोरंजन लाइसेंसिंग प्राधिकरण के प्रासंगिक प्रभागों के विलय के जरिए की गई थी। ओएफ़सीए संचार प्राधिकरण (सीए) की कार्यकारी शाखा है और प्रासंगिक नियमों के प्रवर्तन में सहायता करता है।

फिल्म वर्गिकरण, अश्लील और अभद्र लेखों को नियंत्रित करने और समाचारपत्र पंजीकरण के संबंध में कार्य करने वास्ते फिल्म, समाचारपत्र और लेख प्रशासन कार्यालय (ओएफ़एनएए) की स्थापना उसी तारीख को की गई थी। ओएफ़एनएए के ऊपर सेंसरशिप योजना के जरिए फिल्म सेंसरशिप अध्यादेश (चैप्टर 392) के अनुसार फिल्म वर्गिकरण प्रणाली लागू करने; अश्लील और अभद्र लेख नियंत्रण अध्यादेश (चैप्टर 390) लागू कर अश्लील और अभद्र लेखों के प्रकाशन को नियंत्रित करने; और स्थानीय समाचारपत्र पंजीकरण अध्यादेश (चैप्टर 268) के तहत स्थानीय समाचारपत्रों के पंजीकरण की ज़िम्मेदारी होती है।

संबंधित सेवाएं

- फिल्म सेंसरशिप अध्यादेश (चैप्टर 392) के तहत, हांगकांग में प्रदर्शित की जाने वाली सभी फिल्मों को मंज़ूरी वास्ते फिल्म सेंसरशिप प्राधिकरण के पास जमा किया जाएगा। फिल्म वर्गिकरण प्रणाली का उद्देश्य वयस्कों को परिपक्व दुनिया की वास्तविकताओं के विषय से जुड़ी अनेक प्रकार की फिल्मों को देखने का अवसर मिलता है, साथ ही बच्चों और युवाओं को ऐसी सामग्री देखने से रोका जाता है जो उनके लिए हानिकारक हो सकती है।

मौजूदा उपाय

- फिल्म सेंसरशिप अध्यादेश सेंसर के लिए आवश्यकता रखता है कि सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्म की उपयुक्तता पर निर्णय लेते समय वह अन्य बातों के अलावा इन बातों पर ध्यान रखे यदि फिल्म किसी भी श्रेणी के सदस्यों के वार्ब, नस्ल, धार्मिक आस्थाओं या जातीय या राष्ट्रीय मूल या उसके लिंग का संदर्भ लेते हुए उसकी आलोचना या अपमान नहीं करती हो और फिल्म को उपयुक्त वर्गिकरण प्रदान किया जाता हो। उपरोक्त कानूनी सिद्धांत सेंसर के लिए फिल्म सेंसरशिप दिशानिर्देशों में भी व्यक्त किया गया है।

- यदि सेंसर को लगता है कि फिल्म बनाने का उद्देश्य नस्लीय अंतर पर नफ़रत फैलाना या आलोचना करना है तो सेंसर उस फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगा सकता है।

आगामी कार्य का मूल्यांकन	●	मौजूदा अध्यादेश और प्रासंगिक फिल्म सेंसरशिप दिशानिर्देश ऐसी फिल्मों के प्रदर्शन को रोकने में कारगर रहे हैं जो नस्लीय भेदभाव फैलाती हैं। उपरोक्त उपाय सख्ती से लागू किए जाते रहेंगे।
लागू किए गए/किए जाने वाले अतिरिक्त उपाय	●	ऐसी फिल्में जो नस्लीय भेदभाव फैला सकती हों, उनके प्रदर्शन की उपयुक्तता पर सेंसर द्वारा निर्णय लेने से पहले, परिस्थिति पर निर्भर करते हुए प्रासंगिक नस्लीय समूह द्वारा विशेष तौर पर उसके प्रदर्शन की व्यवस्था की जाएगी और उनके विचार एकत्र किए जाएंगे।
	●	नस्लीय समानता के प्रति स्टाफ के सदस्यों की जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए ओएफ़सीए प्रासंगिक कोर्स और सत्रों का आयोजन करेगा जिससे कि वे अपने अनुभव साझा कर पाएँ।
	●	ओएफसीए ने नॉन-एथनिक चीनी (एनईसी) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत नियुक्ति की पेशकश करने का प्रयास करेगा ताकि युवा एनईसी को कार्य अनुभव प्राप्त करने और नौकरी की तलाश में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके।

नस्लीय समानता को बढ़ावा देने पर मौजूदा और नियोजित उपायों से संबंधित पूछताछ के लिए, कृपया निम्नलिखित चैनलों के जरिए मिस्टर अल्डेन एलएएम *(*Mr Alden LAM*)* , कार्यकारी सहायक (फिल्म) से संपर्क करें -

टेलीफोन नं.	:	3847 7753
फ़ैक्स नं.	:	2122 9999
ईमेल	:	film@ofnaa.gov.hk
डाक पता	:	3/एफ, ट्रेजरी बिल्डिंग, 3 टोंकिन स्ट्रीट वेस्ट, चेउंग शा वान, कॉव्लून

संचार प्राधिकरण कार्यालय (फिल्म, समाचारपत्र और लेख प्रशासन कार्यालय सहित)

जून 2024